

## प्रपत्र-VI

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

संख्या-.....<sup>02</sup>/भू0अ0

या

दिनांक- 3/01/2018

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है, कि कुल 0.46 एकड़ भूमि गाँव-बभनगामा, राजस्व थाना-बेगूसराय, थाना सं०-197, अंचल नावकोठी, जिला बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना रोसड़ा-परिहारा तटबंध हेतु भू-अर्जन अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस आई ए ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने से छूट हेतु विभागीय निदेश प्राप्त है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथानिम्न है .....

-X- इस योजना में कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। -X-

-X- -X-

भू-अर्जन के कारण कुल.....X..... परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित हो कि गाँव बभनगामा, राजस्व थाना बेगूसराय, थाना सं० 197 अंचल नावकोठी, जिला बेगूसराय में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.45 एकड़ यानी 0.1821 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है .....


क्र० सं०	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
						उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	157	जमाबंदी रैयत	जलप्लावित	0.185	विग्रेडियर राम नंदन सिंह पे०-चन्द्रमणि सिंह सा०-बभनगामा	अंश खेसरा 157	अंश खेसरा 157	सर्वे खेसरा 155 1238	अंश खेसरा 157
2	162	तथैव	अंश भाग जलप्लावित एवं अंश भाग बलुआही	0.265	तथैव	अंश खेसरा 162	अंश खेसरा 162	सर्वे खेसरा 566	सर्वे खेसरा 161

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित के लिए की गई है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि 10:00 बजे से 5:00 तक में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को अधिकार में लेने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने के लिए सभी अन्य कार्यों के संचालन करने तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बेगूसराय और उनके कर्मचारी कानूनगो एवं निर्देशित पदाधिकारी को प्राधिकृत करती है।

इस अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई व्यक्ति समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के समक्ष दर्ज की जा सकेगी। चूँकि पूर्व से निर्मित बाँध के कारण अर्जनाधीन भूमि प्रभावित है, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का अविलंब अनुपालन के कम विभागीय ज्ञापांक-1049/रा0, पटना दिनांक-31.08.2016 के कडिका-18 में वर्णित सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन कार्य से छूट हेतु प्राप्त निदेशानुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यन्वित नहीं करने का विनिश्चय किया गया है।

  
समाहर्ता,  
बेगूसराय।

ज्ञापांक-02 / दिनांक-03/01/18

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट बेगूसराय को जिला राज पत्र के अगले असाधारण/साधारण अंक में प्रकाशित करने को इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के लिए भेजी जाती है।

ज्ञापांक-02 / दिनांक-03/01/18 /

प्रतिलिपि:- निदेशक भूमि अर्जन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-02 / दिनांक-03/01/18 /

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार, पटना को चार प्रतियों के साथ (सी0डी0सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-02 / दिनांक-03/01/18 /


प्रतिलिपि:- आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-02 / दिनांक-03/01/18 /

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-02 / दिनांक-03/01/18 /

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, बेगूसराय को समुचित सरकार/समाहर्ता के बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता,  
बेगूसराय।